



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी  
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001  
फोन नं : 0522-2205100

संदर्भ: PGCIL/A/E/20/00050

दिनांक : 04.11.2020

प्रार्थी का नाम: श्री धीरज कुमार शर्मा  
पुत्र श्री सुभाष चन्द्र  
निवासी: ग्राम :-सिथरौली  
पोस्ट:- हाथरस जंक्शन  
तहसील व जनपद :-हाथरस (उत्तरप्रदेश)

अपील पत्र दिनांक: 25.10.2020

लोक प्राधिकारी: पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, लखनऊ


उपस्थित: उत्तरदायी  
श्री राणा प्रताप,  
महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.-3  
पावरग्रिड, लखनऊ

### आदेश

अपीलीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, पावरग्रिड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा से ऑनलाइन पत्र दिनांक 25.10.2020 द्वारा अपील प्राप्त की गयी है जो कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी से अपने आवेदन दिनांक 22.09.2020 में मांगी गयी सूचना के निमित्त है। अपीलार्थी ने अपने उक्त अपील का आधार समयावधि के अंदर जबाब न प्राप्त होना इंगित किया है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि अपीलार्थी को उनके आवेदन का जबाब दिनांक 13.10.2020 को ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि निर्धारित समय अवधि (30 दिनों) के अंदर दे दिया गया था और कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः अपील को खारिज किया जाता है।



[श्री संजय गुप्ता]

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग  
लखनऊ - 226001, उ. प्र.

प्रतिलिपि: श्री राणा प्रताप, महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ.क्षे.-3, लखनऊ